कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति, जिला–बीजापुर छत्तीसगढ़

स्कूल बस प्रदाय हेतु निविदा फार्म
शर्तें व अनुदेश

मूल्य : 500/– रूपये

1. कुल 03 स्कूल बसों के लिए निविदा आमंत्रित किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–
   न्यूनतम 50+1 सीटर BS-IV स्कूल बस (डीजल, पीला रंग) – 03 बस (Non-AC) Colour – Yellow With Complete Seating Arrangements. (To be mentioned all technical specifications in Tender Form)
2. क्रय किये जाने वाले बसों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
3. सभी वाहन जांच में उपयुक्त एवं निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप पाये जाने पर ही डिलीवरी स्वीकार की जावेगी। वाहन पर न्यूनतम चार वर्ष या 3,00,000 किमी. तक की वारंटी देनी होगी।
4. उक्त वाहन का आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन व इश्योरेंस का कार्य भी आपके द्वारा ही सपंन्न करवाना होगा।
5. सभी बसों को इस कार्यालय में सुरक्षित पहुंचाना होगा। परिवहन का पृथक से भुगतान नही किया जावेगा। स्वीकृत दर पर ही वाहन को उक्त स्थल तक पहुंचाना होगा। साथ Transit Insurance से संबंधित राशि अलग से इस कार्यालय से देय नहीं होगी, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
6. आयकर कार्यालय से फर्म का समाशोधन प्रमाण पत्र (Clearance Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
7. वाणिज्यिक कर विभाग में एवं उद्योग विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र निम्नानुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य है :–
   A) Last Three Year Turnover Statements
   B) Pollution & Exhaust Gas Certificate
   C) Transport Authority approval certificates for each type of Bus.
   D) Authority/Dealership Certificates.
8. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. कार्य आदेश के एक माह के भीतर सामग्री निर्धारित स्थलों पर प्रदाय करना होगा। सुरक्षा निधि के रूप में "Collector, Disrtict - Bijapur(C.G.)" के नाम से देय **रूपये 2,00,000/– अक्षरीय–रू. दो लाख मात्र/–** का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया डिमाण्ड़ ड्रॉफ्ट जमा करना होगा।
10. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफा में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा होना चाहिये, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिये। पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। **निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 20.06.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक** होगी।
11. निविदा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही भरकर प्रस्तुत किया जाना होगा। निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा प्रपत्र में यह सब जानकारी

पूर्णरूपेण और सही–सही भरी जानी चाहिए, जो वांछित है। उसके अभाव में यह अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

12. कलेक्टर, जिला–बीजापुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को कारण बताए बिना स्वीकार या अस्वीकार कर दें।

13. वाहन प्रदाय समय पर पूर्ण कर सकने बाबत् फर्म की क्षमता के संबंध में कलेक्टर, जिला–बीजापुर का निर्णय अंतिम होगा।

14. यदि कलेक्टर, बीजापुर को ऐसा लगे कि फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे दिया गया कार्य पूरा नही कर पाएगा तो वह कार्य को पूर्णतः या अंशतः उससे तत्काल वापस ले सकेगा और अन्यत्र कर सकेगा। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय आएगा वह त्रुटिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा। अतिरिक्त व्यय के संबंध में कलेक्टर का विनिश्चित अंतिम एवं बंधनकारक होगा।

15. वाहन प्रदाय में विलंब के लिए अधिरोपित किऐ जाने वाले अर्थदण्ड़ की दरें निम्नानुसार होंगी :–
   1. प्रथम सप्ताह के दौरान प्रतिदिन के विलंब के लिए 5 प्रतिशत।
   2. प्रथम सप्ताह के पश्चात् प्रतिदिन के विलंब के लिए 10 प्रतिशत।

16. निविदाकर्ता को उक्त वाहन प्रदाय के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा। इस संबंध में उसे स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. वाहन प्रदाय अवधि क्रय–आदेश की तिथि से अधिकतम 30 दिवस की होगी।

18. निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर, जिला निर्माण समिति, बीजापुर में रू. 500.00 (पांच सौ) रूपये जमा कर दि. 18.06.2018 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।

कलेक्टर,
जिला –बीजापुर (छ.ग.)